

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 80/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

हरीश सेनी पुत्र श्री गोरीशंकर सेनी जाति सेनी निवासी चक 16 डी डब्ल्यु डी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ(राज0)।

-वादी

बनाम

1. गोरीशंकर पुत्र श्री चानणराम निवासी 16 डी डब्ल्यु डी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. सुरेश कुमार पुत्र श्री गोरीशंकर निवासी 16 डी डब्ल्यु डी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. सन्तोष पत्नी सुभाष पुत्री गोरीशंकर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सुनिता पत्नी भजन पुत्री गोरीशंकर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुमन पत्नी विकास पुत्री गोरीशंकर निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अर्जनलाल वर्मा वकील-वादी
श्री निर्मल माहेश्वरी प्रतिवादी सं. 1 ता 5
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 28.02.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 12 डी.डब्ल्यु.डी. के प.न. 191/44(6) के किला न0 2/2 की 0.0200 है अनकमाण्ड, किला न0 3 की 0.1270 है0 अनकमाण्ड, किला न0 3/1 की 0.1260 है0 कमाण्ड, किला न0 4/1 की 0.2150 है0 कमाण्ड, किला न0 5/1 की 0.0630 है0 कमाण्ड, किला न0 6 की 0.2530 है0 कमाण्ड, किला न0 15 की 0.2530 है कमाण्ड, कुल 1.0570 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.02.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर
राजस्थान

